

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

सं०-एम-4-12/2015(खंड).....8523.....वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131घ में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131घ के प्रावधान में प्रयुक्त अंक, कोष्ठक एवं शब्द “₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र” को अंक, कोष्ठक एवं शब्द “₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रवि मिश्रा)

प्रधान सचिव

पटना, दिनांक-28-10-16

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड).....8523.....वि०

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(रवि मिश्रा)

प्रधान सचिव

पटना, दिनांक-28-10-16

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड).....8523.....वि०

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(रवि मिश्रा)

प्रधान सचिव

पटना, दिनांक-28-10-16

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड).....8523.....वि०

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(रवि मिश्रा)

प्रधान सचिव

28/10